न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 2003 / 5814 / बारां.

1— महावीर प्रसाद पिसरान प्रभूलाल,
2— द्वारका बाई पिसरान प्रभूलाल,
3— मोहर बाई पिसरान प्रभूलाल,
4— गीता बाई पिसरान प्रभूलाल,
5— कन्चन बाई पत्नि प्रभूलाल,
समस्त जाति लुहार, निवासीगण ग्राम पाडलिया तहसील दीगोद जिला कोटा।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1— हीरालाल पुत्र मोतीलाल जाति लुहार निवासी बम्बोरी तहसील अटरू जिला बारां।
2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

——— प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री आर. डी. मीणा, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

———

उपस्थितिः—
श्री माधवराज सिंह, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री अशोक अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांक :— 08 / 10 / 2024.

1— यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06—08—2003 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2— हस्तगत अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वादी के पिता एवं पति श्री प्रभूलाल ने न्यायालय उप जिला कलक्टर, अटरू के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् इस आशय का पेश किया गया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादी के पिता मोतीलाल की खातेदारी भूमि थी, जिनके देहान्त के पश्चात् वादी प्रभूलाल के नाम दर्ज हो गई व वादी अपीलार्थी ही काबिज काश्त है, किन्तु प्रत्यर्थी हीरालाल नाजायज तौर पर वादी अपीलार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करता है। अतः उसे वादी अपीलार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करने बाबत् निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की प्रार्थना की

गई। प्रतिवादी ने उक्त कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि मोतीलाल का एकमात्र पुत्र प्रभूलाल न होकर प्रतिवादी हीरालाल है। प्रभूलाल की माता ने मोतीलाल से नाता किया था व प्रभूलाल उसकी माता के साथ गेलड आया था। अतः प्रभूलाल का आराजी मुतनाजा में कोई हक व हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायालय ने उक्त अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रकरण बाद सुनवाई दिनांक 18–06–1993 को डिक्री करते हुए प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए पुनः परीक्षण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया, जिस पर विचारण न्यायालय ने पुनः वाद में सुनवाई कर दिनांक 27–06–2000 को आदेश पारित कर वाद डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 27–06–2000 के विरूद्ध प्रतिवादी ने एक अपील संख्या 392 / 2000 प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय अधिकारी ने पुनः स्वीकार कर रिमाण्ड कर दिया, जिस पर विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादी अपीलार्थी का वाद अस्वीकार कर खाारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष पेश की गई, जिसे निर्णय दिनांक 06–08–2003 द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 06–08–2003 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हे।

3– उभय पक्षों के अधिवक्तागण को सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री कानून व तथ्यों के विपरीत है। अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई किसी भी तनकी एवं साक्ष्य का विवेचन किये बिना एस.डी.ओ. द्वारा प्रकरण संख्या 44 / 2000 में प्रत्यर्थीगण का दावा डिक्री हो जाने मात्र से वादी अपीलार्थीगण की अपील निरस्त की है, जबकि प्रत्यर्थीगण न तो प्रकरण संख्या 44 / 2000 में पारित निर्णय व डिक्री की कोई सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की है एवं ना ही कोई प्रार्थना पत्र उक्त निर्णय को रेकार्ड पर लेने हेतु पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति के आधार पर रिबटल साक्ष्य का मौका दिये बिना अपीलार्थी की अपील को निरस्त करने में अपीलीय न्यायालय ने भयंकर त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय ने भी इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रभूलाल जो कि मोतीलाल का पुत्र है व आराजी मुतनाजा पर काबिज होकर काश्त कर रहा है एवं वादी ने कब्जा प्रतिवादी का होने पर उसे बेदखल करने की भी दादरसी धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् चाही है। अतः महत विपक्षी का कब्जा मानकर ही अपीलार्थीगण का वाद निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है,

जबकि उपखण्ड अधिकारी ने पूर्व के निर्णय में विपक्षी को आराजी मुतनाजा से बेदखल करने की भी दादरसी प्रदान की थी। चूंकि अपीलार्थी विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार है। अतः अपीलार्थी वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किये जाने योग्य था, किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए वादीगण अपीलार्थीगण का वाद निरस्त करने में कानूनी भूल कारित की है। आदि कथन करते हुए अंत में प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–08–2003 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–05–2002 अपास्त कर वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

4– इसके विरोध में अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन रहा कि अपीलार्थीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई हक व अधिकार ही प्राप्त नहीं था, क्योंकि दावा दायरी के दिनांक को ही अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं था। इसकी पुष्टि वाद में समस्त गवाहान द्वारा करते हुए हमारा कब्जा होना प्रमाणित किया है। अपीलार्थी ने धारा 209 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हमारा कब्जा माना है तथा उक्त तथ्य हमारे जवाब दावे में भी उल्लेखित कर दिया था। इस कारण अपीलार्थी ने धारा 209 का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया। यह भी निवेदन किया कि विवादित भूमि के संबंध में एक राजस्व प्रकरण अंतर्गत धारा 88 विचारण न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें विचारण न्यायालय ने दिनांक 31–10–2000 को निर्णय पारित कर हमारे पक्ष में विवादित भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की थी। इस प्रकार प्रत्यर्थी ही विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाये।

5– उभय पक्षों के अधिवक्तागण को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण के पिता व पति स्व. श्री प्रभूलाल ने प्रत्यर्थी प्रतिवादी हीरालाल के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् एक राजस्व वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजी वादी के पिता मोतीलाल की खातेदारी भूमि थी तथा इनके देहान्त के पश्चात् विवादित आराजी प्रभूलाल के नाम दर्ज हो गई, जिस पर वह काबिज काश्त चला आ रहा है, किन्तु हीरालाल वादी के कब्जे काश्त में नाजायज तौर पर हस्तक्षेप करता है, जिसे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये। योग्य विचारण न्यायालय ने दिनांक 18–06–1993 को वाद वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी हीरालाल द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने

पर दिनांक 13–06–1994 को अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया, जिसकी अनुपालना में विचारण न्यायालय ने पुनः दिनांक 27–6–2000 को आदेश पारित कर वादी के पक्ष में वाद डिक्री करते हुए प्रतिवादी को भूमि से बेदखल करने का आदेश भी प्रदान कर दिया। इसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार कर पुनः विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया गया, जिस पर विचारण न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनकर वादी अपीलार्थी का वाद निर्णय दिनांक 04–05–2002 द्वारा खारिज कर दिया गया।

6– योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 04–05–2002 के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में कुल पांच तनकीयात कायम करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादी का विवादित भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कोई हक हिस्सा नहीं होना मानते हुए वाद खारिज किया गया। चूंकि यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित आराजी मोतीलाल की थी तथा प्रतिवादी हीरालाल, मोतीलाल की वैध संतान है तथा अपीलार्थी वादी प्रभूलाल अपनी माता के साथ गैलड़ आया था तथा मोतीलाल के स्वर्गवास के समय हीरालाल के नाबालिग होने का फायदा उठाकर वादी ने अपने नाम इन्द्राज खुलवा लिया, जबकि विचारण न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादी का कोई हक हिस्सा विवादित आराजियात में बनना नहीं पाया गया। इस संबंध में एक अन्य प्रकरण अंतर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का भी विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के समक्ष विचाराधीन था, जिसमें विचारण न्यायालय ने दिनांक 31–10–2000 को निर्णय पारित कर प्रतिवादी को खातेदार घोषित कर दिया तथा उक्त निर्णय की पालना में प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी हीरालाल के पक्ष में डिक्री पारित कर उसे खातेदार घोषित किया गया है, जिसकी मौन स्वीकृति स्वयं अपीलार्थीगण ने अपने अपील मीमों के अभिवचनों एवं बहस के दौरान की है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई विधिक चाराजोही करने के संबंध में भी कोई सकारात्मक अभिवचन नहीं किये गये है। इस प्रकार यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी हीरालाल के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के संबंध में घोषणात्मक डिक्री पारित की गई। जब तक अपीलार्थी वादी के पक्ष में विवादित आराजी के स्वत्व अधिकार के संबंध में कोई घोषणा न हो, तब तक वह अपने पक्ष में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं ना ही प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा की अपील किसी प्रकार का विधिक बल रखती है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक

व दस्तावेजी साक्ष्यों का संपूर्ण रूप से विवेचन एवं विश्लेषण कर अपीलार्थी वादी प्रभूलाल का कोई हक व अधिकार नहीं होना एवं प्रतिवादी मोतीलाल का वैध संतान होने से विवादित आराजी पर उसका कब्जा होना माना है, जिसकी पुष्टि योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने करते हुए वादी अपीलार्थी की अपील को खारिज किया गया है। इस प्रकार उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। हमारे विनम्र मत में योग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 04–05–2002 पारित करने में एवं योग्य प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व प्राधिकारी, कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 06–08–2003 द्वारा योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि करने में कोई विधि या तथ्य संबंध त्रुटि कारित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन एवं बलहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

7– परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा योग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–05–2002 एवं योग्य प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–08–2003 की पुष्टि की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत) (आर.डी. मीणा)

सदस्य सदस्य